भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1346

बुधवार 5 दिसम्बर, 2012 /14 अग्रहायण, 1934 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लावारिस धनराशि

1346. श्री एस. थंगावेलु:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत लगभग दो हजार करोड़ रुपए की धनराशि लावारिस या लाभार्थियों को वितरित किए जाने के लिए पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उक्त लावारिस धनराशि को लाभार्थियों को या उनके उत्तराधिकारियों को वितरित करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास कोई अदावाकृत राशि नहीं पड़ी है। तथापि, कुछ खाते 'निष्क्रिय खातों' के रूप में माने जाते हैं। इन निष्क्रिय खातों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) में "कोई खाता जिसमें लगातार छत्तीस माह तक अंशदान प्राप्त नहीं किए गए हैं" के रुप में परिभाषित किया गया है। इन सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं।

(ख) से (घ): वर्ष 2011-12 के लिए संगठन के वार्षिक लेखा (अपरीक्षित) के अनुसार असंचालित खातों में 22,636.57 करोड़ रुपये की धनराशि पड़ी है।

ऐसे असंचालित खातों के दावों का निपटान करने के लिए भविष्य निधि सदस्यों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से दावे प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सदस्यों को अपने दावा मामलों को निपटान हेतु प्रस्तुत करने के लिए शिक्षित करने हेतु प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है।

(ii) नियोजक और कर्मचारी संघों से समय-समय पर यह अनुरोध किया जाता है कि सदस्यों को अपने दावे निपटान हेतु प्रस्तुत करने की सलाह दी जाए।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012/14 अग्रहायण, 1934 (शक) अतारांकित प्रश्न संख्या 1350

देश में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभभोगी

1350. श्री मोहन सिंह:

क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है और उन्हें राजकोष से पेंशन स्वरूप कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार उनकी पेंशन की राशि बढ़ाने के संबंध में किए गए अपने पुराने वादे को पूरा करेगी और यदि हां, तो कब तक?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के कुल लाभार्थियों की संख्या 41.03 लाख है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इन पेंशनरों को भुगतान की जाने वाली पेंशन की राशि 4475.45 करोड़ है।

(ख): पेंशन क्रियान्वयन समिति, जो केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की एक उप समिति है, का कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ा कर 1000/- रुपये करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1356

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012/14 अग्रहायण, 1934 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अदावी राशि

1356. डा. वी. मैत्रेयन:

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा 4000 करोड़ रुपये की अदावी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की संबंधित कानूनों में संशोधन करके इस अदावी राशि का संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विकास संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोग करने की योजना है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि की इस अदावी राशि को इसके हकदार व्यक्तियों अथवा उन कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों तक पहुंचाने के उपाय तलाशने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अदावी राशि का देश के संबंधित राज्यों में विकास संबंधी कार्यों हेतु उपयोग किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास कोई अदावाकृत राशि नहीं पड़ी है। तथापि, कुछ खाते 'निष्क्रिय खातों' के रूप में माने जाते हैं। इन निष्क्रिय खातों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) में "कोई खाता जिसमें लगातार छत्तीस माह तक अंशदान प्राप्त नहीं किए गए हैं" के रुप में परिभाषित किया गया है। इन सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं।

निष्क्रिय खातों में पड़े धन का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

जारी...2/-

(ख): सरकार की निष्क्रिय खातों के धन का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विकासात्मक क्रिया-कलापों के लिए प्रयोग करने की कोई योजना नहीं है। निधि का न्यासी होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों के व्यक्तिगत खातों की देख-रेख करता है तथा सदस्यों के खातों में उपलब्ध जमा राशि आवेदन करने पर केवल सदस्यों को ही भुगतान करता है। इस प्रकार, निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि सदस्यों के खातों के निपटान के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं की जा सकती।

(ग) और (घ): इन निष्क्रिय खातों के दावों का निपटान करने के लिए भविष्य निधि सदस्यों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से दावे प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:-

(i) सदस्यों को अपने दावा मामलों को निपटान हेतु प्रस्तुत करने के लिए शिक्षित करने हेतु प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है।

(ii) निपटान हेतु दावे दायर करने के लिए सदस्यों को परामर्श देने के लिए समय-समय पर नियोक्ता एवं कर्मचारी संघों से अनुरोध किया जाता है।

देश के विकास कार्यों के लिए अदावाकृत राशि का प्रयोग करने की कोई योजना नहीं है।

******

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अदावाकृत राशि के संबंध में डा. वी. मैत्रेयन द्वारा दिनांक 5.12.2012 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1356 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31-03-2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के निष्क्रिय खातों में पड़ी राज्य-वार निधियां

(रुपये में राशि)

क्र.सं.	राज्य	निष्क्रिय खाता
1	आन्ध्र प्रदेश	17,97,39,02,591.84
2	बिहार	2,04,20,94,013.03
3	छत्तीसगढ़	3,42,35,84,845.00
4	दिल्ली	6,65,86,281.59
5	गोवा	1,20,84,28,156.00
6	गुजरात	10,12,41,55,061.50
7	हरियाणा	10,61,85,00,759.60
8	हिमाचल प्रदेश	1,78,08,96,689.00
9	झारखण्ड	5,03,214.65
10	कर्नाटक	11,74,20,62,951.16
11	केरल	22,13,645.00
12	मध्य प्रदेश	4,88,79,70,699.00
13	महाराष्ट्र	74,27,35,05,726.96
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,73,72,36,367.00
15	उड़ीसा	2,82,49,38,418.00
16	पंजाब	16,60,18,53,041.37
17	राजस्थान	7,44,47,13,410.50
18	तमिलनाडु	24,33,41,90,698.93
19	उत्तराखण्ड	1,42,52,75,602.43
20	उत्तर प्रदेश	20,51,93,35,603.32
21	पश्चिम बंगाल	13,33,37,73,357.83
कुल		**2,26,36,57,21,133.71**

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2131

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012/21 अग्रहायण, 1934 (शक)

ई.पी.एफ.ओ. द्वारा इक्विटियों में निवेश

2131. श्री संजय राउत:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) इक्विटियों में निवेश करने पर विचार कर रहा है जैसाकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निधियां 12 प्रतिशत वार्षिक अर्जित करती हैं;

(ख) ई.पी.एफ.ओ. ने निजी क्षेत्र में, ब्ल्यू चिप विनिर्माण कंपनियों में कितना निवेश किया है; और

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि 5 करोड़ अंशदाताओं को बिना उनकी किसी गलती के कम प्रतिलाभ से दंडित न किया जाए?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी नहीं।

(ख): 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ब्ल्यू चिप विनिर्माता कम्पनियों में 4.05 करोड़ रूपये के निवेश सहित कुल 26,896.54 करोड़ रूपये की संचित निधि निजी क्षेत्र में निवेशित है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लाभार्थियों द्वारा अभिदानित पूंजी को जोखिम मुक्त रखना तथा उस पर स्थायी लाभ के साथ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012/21 अग्रहायण, 1934 (शक) अतारांकित प्रश्न संख्या 2134

ईपीएफ पेंशन योजना में संशोधन किया जाना

2134. श्री रामचन्द्र खूंटिआ:

क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मासिक पेंशन की प्रमात्रा में वृद्धि करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन योजना में संशोधन करने क्योंकि अन्य योजना में लाभ वर्तमान पेंशन योजना से कहीं ज्यादा है, और साथ ही कवरेज सीमा को 15000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने और कवरेज के लिए कामगारों की संख्या को 20 के स्थान पर कम करके 5 करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): पेंशन कार्यान्वयन समिति (पीआईसी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप समिति का कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000/- रुपये कर दिए जाने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1552 के अंतर्गत कवरेज हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाये जाने संबंधी मुद्दे पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की बैठकों में बातचीत हुई है। तथापि, अभी सरकार को इस मामले में अंतिम अभिमत लेना है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु कामगारों की संख्या को 20 के बजाय घटाकर 5 कर दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2912

बुधवार, 19 दिसम्बर, 2012/28 अग्रहायण, 1934 (शक)

निजी क्षेत्र में निवेश की गई ईपीएफओ की धनराशि

2912. श्री रघुनन्दन शर्मा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की उस धनराशि का ब्यौरा क्या है जिसे गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र, गैर-बैंककारी कंपनियों में निवेश किया गया तथा इन निवेशों से कितना लाभ प्राप्त हुआ;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की मुख्य निवेश सलाहकार, वित और निवेश समिति (एफआईसी) ने निजी क्षेत्र, गैर- बैंककारी कंपनियों में निवेश की अधिकतम अवधि को घटाकर दस वर्ष करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो एफआईसी द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य भंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की धनराशि जिसे निजी क्षेत्र, गैर-बैंककारी कंपनियों में निवेश किया गया और पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कूपन दर के अनुसार वार्षिक विवरणी निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निवेश की गई राशि	वार्षिक विवरणी
2009-10	575.40	51.20
2010-11	2433.20	220.59
2011-12	1181.80	111.19
अप्रैल, 2012 से नवम्बर, 2012 तक	शून्य	शून्य

चूंकि ईपीएफओ द्वारा प्रतिभूतियों को बाजार में नहीं बेचा जाता है अत: इनसे किसी प्रकार के लाभ का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) से (घ): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप समिति वित्त और निवेश समिति (एफआईसी) है, जो सिफारिश करने वाली एक समिति है। एफआईसी की सिफारिशें, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के समक्ष दिनांक 07 अगस्त, 2012 को आयोजित एफआईसी की 200 वीं बैठक में रखी गईं थीं। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने केन्द्र सरकार के विचारार्थ एफआईसी द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों का अनुमोदन किया है:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के जमा प्रमाण-पत्र में निवेश की अनुमति देना ताकि बेहतर नकद प्रबंधन किया जा सके।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की सावधिक जमा प्राप्तियों की अधिकतम अवधि को मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक करना ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे निवेशों पर उच्चतर लाभ प्राप्त कर सके।

यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2912

बुधवार, 19 दिसम्बर, 2012/28 अग्रहायण, 1934 (शक)

निजी क्षेत्र में निवेश की गई ईपीएफओ की धनराशि

2912. श्री रघुनन्दन शर्मा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की उस धनराशि का ब्यौरा क्या है जिसे गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र, गैर-बैंककारी कंपनियों में निवेश किया गया तथा इन निवेशों से कितना लाभ प्राप्त हुआ;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की मुख्य निवेश सलाहकार, वित्त और निवेश समिति (एफआईसी) ने निजी क्षेत्र, गैर- बैंककारी कंपनियों में निवेश की अधिकतम अवधि को घटाकर दस वर्ष करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो एफआईसी द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की धनराशि जिसे निजी क्षेत्र, गैर-बैंककारी कंपनियों में निवेश किया गया और पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान कूपन दर के अनुसार वार्षिक विवरणी निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निवेश की गई राशि	वार्षिक विवरणी
2009-10	575.40	51.20
2010-11	2433.20	220.59
2011-12	1181.80	111.19
अप्रैल, 2012 से नवम्बर, 2012 तक	शून्य	शून्य

चूंकि ईपीएफओ द्वारा प्रतिभूतियों को बाजार में नहीं बेचा जाता है अत: इनसे किसी प्रकार के लाभ का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) से (घ): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की एक उप समिति वित्त और निवेश समिति (एफआईसी) है, जो सिफारिश करने वाली एक समिति है। एफआईसी की सिफारिशें, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के समक्ष दिनांक 07 अगस्त, 2012 को आयोजित एफआईसी की 200 वीं बैठक में रखी गई थीं। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने केन्द्र सरकार के विचारार्थ एफआईसी द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों का अनुमोदन किया है:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के जमा प्रमाण-पत्र में निवेश की अनुमति देना ताकि बेहतर नकद प्रबंधन किया जा सके।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की सावधिक जमा प्राप्तियों की अधिकतम अवधि को मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष तक करना ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे निवेशों पर उच्चतर लाभ प्राप्त कर सके।

यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1356

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012/14 अग्रहायण, 1934 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अदावी राशि

1356. डा. वी. मैत्रेयन:

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा 4000 करोड़ रुपये की अदावी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की संबंधित कानूनों में संशोधन करके इस अदावी राशि का संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विकास संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोग करने की योजना है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि की इस अदावी राशि को इसके हकदार व्यक्तियों अथवा उन कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों तक पहुंचाने के उपाय तलाशने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अदावी राशि का देश के संबंधित राज्यों में विकास संबंधी कार्यों हेतु उपयोग किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास कोई अदावाकृत राशि नहीं पड़ी है। तथापि, कुछ खाते 'निष्क्रिय खातों' के रूप में माने जाते हैं। इन निष्क्रिय खातों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) में "कोई खाता जिसमें लगातार छत्तीस माह तक अंशदान प्राप्त नहीं किए गए हैं" के रुप में परिभाषित किया गया है। इन सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार हैं।

निष्क्रिय खातों में पड़े धन का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

जारी...2/-

(ख): सरकार की निष्क्रिय खातों के धन का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विकासात्मक क्रिया-कलापों के लिए प्रयोग करने की कोई योजना नहीं है। निधि का न्यासी होने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों के व्यक्तिगत खातों की देख-रेख करता है तथा सदस्यों के खातों में उपलब्ध जमा राशि आवेदन करने पर केवल सदस्यों को ही भुगतान करता है। इस प्रकार, निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि सदस्यों के खातों के निपटान के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं की जा सकती।

(ग) और (घ): इन निष्क्रिय खातों के दावों का निपटान करने के लिए भविष्य निधि सदस्यों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से दावे प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:-

(i) सदस्यों को अपने दावा मामलों को निपटान हेतु प्रस्तुत करने के लिए शिक्षित करने हेतु प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है।

(ii) निपटान हेतु दावे दायर करने के लिए सदस्यों को परामर्श देने के लिए समय-समय पर नियोक्ता एवं कर्मचारी संघों से अनुरोध किया जाता है।

देश के विकास कार्यों के लिए अदावाकृत राशि का प्रयोग करने की कोई योजना नहीं है।

******

अनुबंध

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अदावाकृत राशि के संबंध में डा. वी. मैत्रेयन द्वारा दिनांक 5.12.2012 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1356 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31-03-2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के निष्क्रिय खातों में पड़ी राज्य-वार निधियां

(रुपये में राशि)

क्र.सं.	राज्य	निष्क्रिय खाता
1	आन्ध्र प्रदेश	17,97,39,02,591.84
2	बिहार	2,04,20,94,013.03
3	छत्तीसगढ़	3,42,35,84,845.00
4	दिल्ली	6,65,86,281.59
5	गोवा	1,20,84,28,156.00
6	गुजरात	10,12,41,55,061.50
7	हरियाणा	10,61,85,00,759.60
8	हिमाचल प्रदेश	1,78,08,96,689.00
9	झारखण्ड	5,03,214.65
10	कर्नाटक	11,74,20,62,951.16
11	केरल	22,13,645.00
12	मध्य प्रदेश	4,88,79,70,699.00
13	महाराष्ट्र	74,27,35,05,726.96
14	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,73,72,36,367.00
15	उड़ीसा	2,82,49,38,418.00
16	पंजाब	16,60,18,53,041.37
17	राजस्थान	7,44,47,13,410.50
18	तमिलनाडु	24,33,41,90,698.93
19	उत्तराखण्ड	1,42,52,75,602.43
20	उत्तर प्रदेश	20,51,93,35,603.32
21	पश्चिम बंगाल	13,33,37,73,357.83
कुल		**2,26,36,57,21,133.71**

****